सुप्रीम कोर्ट ने दी जानकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को नहीं किया सार्वजनिक, जस्टिस वर्मा के घर 14 मार्च को आग बुझाने के दौरान मिला था नकदी

जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नकदी मामले में जांच कमेटी ने सीजेआइ को सौंपी रिपोर्ट

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली : हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) संजीव खन्ना को सौंप दी है। कमेटी ने सीजेआइ को चार मई को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में 14 मार्च को रात करीब 11.30 बजे आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग आग बुझाने पहुंचा था, तभी कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी जिसकी खबर कुछ दिन बाद सामने आई थी। सीजेआइ ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले में जांच के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल

जस्टिस यशवंत वर्मा। ● फाइल फोटो

प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन की तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी और जांच करके रिपोर्ट देने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बयान जारी कर बताया कि न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय आंतरिक जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों के मामले में जांच पूरी करके तीन मई को रिपोर्ट तैयार कर ली थी। कमेटी ने यह रिपोर्ट चार मई, 2025 को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंप दी है। हालांकि रिपोर्ट में क्या है, यह अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के वक्त वह और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे, वे भोपाल गए हुए थे। घर पर उनकी बेटी और मां थीं। आग बुझाने के दौरान नकदी मिलने के बारे में रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को घटना की रिपोर्ट भेजी थी और रिपोर्ट में मामले की गहराई से जांच करने की जरूरत बताई थी। घर से नकदी मिलने के बारे में जस्टिस यशवंत वर्मा से भी जवाब मांगा गया था। जस्टिस वर्मा ने जवाब में आरोपों से इन्कार किया था और कहा था कि यह उन्हें फंसाने की साजिश है। सीजेआइ ने घटना के बाद जस्टिस वर्मा से न्यायिक कामकाज वापस लेने के आदेश दिए थे। बाद में जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरण कर दिया गया है और वहां भी जस्टिस वर्मा से न्यायिक कामकाज वापस ले लिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में वह दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वरिष्ठता में नौवें स्थान पर हैं।

न्यायपालिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि 22 मार्च को सीजेआइ ने मामले से जुड़ी दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट और घर में आग लगने की घटना के दौरान मिली नकदी के फोटो एवं वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक कर दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट सीजेआइ को मिलने की सूचना सार्वजनिक की है।

दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को किया तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की याचिका पर 'इंडियाज गाट लैटेंट' के होस्ट समय रैना समेत पांच इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसरों को तलब किया। एनजीओ ने आरोप लगाया है कि इन आरोपितों ने अपने शो में स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी (एसएमए) बीमारी से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाया। एसएमए पीड़ित मरीजों में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे पांचों इंफ्लुएंसर को नोटिस जारी कर अदालत में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में किसी को भी नीचा दिखाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने एनजीओ 'क्यांर एसएमए फाउंडेशन आफ इंडिया' की याचिका पर अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमनी से भी सहायता मांगी, जिसमें दिव्यांगों से संबंधित इंटरनेट मीडिया कंटेंट को विनियमित करने संबंधी निर्देश देने का अनुरोध किया गया। पीठ ने ऐसे लोगों का उपहास करने वाले इंफ्लुएंसर को मनोबल को चोट पहुंचाने वाला करार दिया और कहा कि कुछ गंभीर दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि ऐसी चीजें फिर न हों।

Scanned by CamScanner